

न्यायालय-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भोपाल, म0प्र0

कमांक-16/2021

भोपाल, दिनांक - 06.01.2021

(आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक 2021)

मैं निशीथ खरे, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भोपाल धारा 15(2)दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सत्र मण्डल भोपाल में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट के आपराधिक कार्य संबंधी पूर्व आपराधिक कार्यविभाजन पत्रक 2015 संशोधन क्रं 05 आदेश दिनांक 26.02.15 को छोड़कर पूर्ववर्ती समस्त आदेश को निरस्त करते हुए निम्नलिखित अनुसार कार्य विभाजन करता हूँ, जो माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, भोपाल द्वारा अनुमोदन पश्चात् अविलंब प्रभावशील होगा :-

01	निशीथ खरे प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भोपाल	अ. राज्य आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरो संपूर्ण भोपाल, विदिशा, राजगढ़ (ब्यावरा) सीहोर और रायसेन जिला	1. म0प्र0 शासन, विधि विधायी कार्य विभाग को अधिसूचना क्रं 1-8-79-इक्कीस-ब(एक) भोपाल दिनांक 28 जून 2007 में दर्शित कालम क्रं 2 में यथा विनिर्दिष्ट मुख्यालयों पर उक्त चारणी के कालम क्रं 3 के क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रकरण ।
		ब. संपूर्ण जिला भोपाल	2. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के कार्यालय से प्रस्तुत आपराधिक प्रकरण । 3. श्रम विभाग द्वारा प्रस्तुत परिवाद प्रकरण । 4. श्रम न्यायालय के आदेश के उल्लंघन में अभियोजन कचे प्रकरण । 5. खनिज अधिनियम से संबंधित परिवाद पत्र 6. म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल म प्र द्वार प्रस्तुत परिवाद पत्र । 7. भोपाल जिला क्षेत्र के मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 के अंतर्गत समस्त कार्यवाहियां 8. ईनानी चिट एवं धन परिचालन स्कीम (प्रतिबंधित) अधिनियम 1978 एवं ऐसे अन्य अधिनियम जिसमें विचारण का क्षेत्राधिकार केवल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को हो । 9. इंवायरमेंटल लॉ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम से संबंधित परिवाद प्रकरण/आपराधिक प्रकरण 10. फारेस्ट लॉ (भारतीय वन अधिनियम) से उद्भूत परिवाद/आपराधिक प्रकरण 11. म.प्र.दुकान एवं संस्थापना अधिनियम 1958 12. वन विभाग से प्रस्तुत होने वाले परिवाद.
		स. संपूर्ण तहसील हूजूर जिला भोपाल	माननीय उच्च न्यायालय म प्र जबलपुर के ज्ञापन क्रं सी/1743, जबलपुर दिनांक 04.05.

		16 एवं माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश भोपाल के विविध कार्यालयीन आदेश कं क्यू/सांख्यिकीय लेखक/16, आदेश दिनांक 10.05.16 द्वारा वन विधि एवं खनन विधि से उत्पन्न समस्त आपराधिक प्रकरण। निम्नलिखित अधिनियम एवं तत्संबंधी नियमों के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त थाना क्षेत्रों के आपराधिक प्रकरण 13. धारा 34 (2) एवं 49-क आबकारी अधिनियम 1915 के मामले को छोड़कर 1. समस्त आपराधिक प्रकरण 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के खात्मा, खारिजी प्रकरण जिला भोपाल एवं बैरसिया तहसील के अंतर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्रों में प्रस्तुत होने वाले खारिजी प्रकरण।
	आरक्षी केन्द्र 1. एम.पी.नगर 2. टी.टी.नगर 3. हबीबगंज 4. यातायात 5. आबकारी (धारा 34 (2) एवं 49-क आबकारी अधिनियम 1915 सहित समस्त मामले) 6. बैरागढ़ 7. खजूरी सड़क	
02	श्री विशाल अखंड चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भोपाल	आरक्षी केन्द्र 1. पिपलानी 2. अशोकागार्डन 3. सी.आई.डी. 4. कोतवाली सम्पूर्ण तहसील हुजूर
03	श्री कपिल सोनी, विशेष रेल्वे मजिस्ट्रेट, भोपाल	आरक्षी केन्द्र 1. जी.आर.पी. 2. आर.पी.एफ.

1. माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर की अधिसूचना दिनांक 08.04.2015 अनुसार भारतीय रेलवे अधिनियम से संबंधित स्थानीय क्षेत्र भोपाल, सीहोर, उज्जैन, गुना, अशोकनगर, इन्दौर, शाजापुर, रतलाम, खण्डवा, बुरहानपुर, सागर, विदिशा, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, ग्वालियर,

			जबलपुर, सतना, मुरैना, नरसिंहपुर, रीवा, नीमच, भिण्ड, कटनी, छतरपुर, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, छिंदवाडा, श्योपुर क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले प्रकरण। 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के खात्मा प्रकरण 3. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण
04	श्री हीरालाल अलावा द्वितीय व्य0न्या0 वर्ग-1 एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल	<u>आरक्षी केन्द्र</u> 1. गोविंदपुरा 2. टीलाजमालपुरा 3. मिसरोद सम्पूर्ण तहसील हुजूर	1. आपराधिक प्रकरण/परिवाद पत्र। 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के खात्मा प्रकरण 3. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण 4. नापतोल अधिनियम 1985 5. औद्योगिक विवाद से संबंधित प्रस्तुत परिवाद प्रकरण। 6. म.प्र.सिनेमा (रेगुलेशन) अधि0 1952
05	सुश्री स्नेहा सिंह पंचम व्य0न्या0 वर्ग-1 एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल	—	1. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण।
06	श्री रोहित श्रीवास्तव, चौदहवें व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल	<u>आरक्षी केन्द्र</u> 1. गांधीनगर 2. जहांगीराबाद 3. कोहेफिजा 4. हनुमानगंज सम्पूर्ण तहसील हुजूर	1. आपराधिक प्रकरण/परिवाद पत्र 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के खात्मा प्रकरण 3. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण। 1. खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम संबंधित आपराधिक प्रकरण। 2. नगर निगम अधिनियम से संबंधित प्रकरण। 3. खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के मामले जो न्यायिक मजि0प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय है। 4. औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधि0 5. बाल श्रमिक से संबंधित अन्य अधिनियम एवं बाल श्रमिक से संबंधित अन्य अधिनियम 6. आरक्षी केन्द्र एम.पी. नगर एवं हबीबगंज क्षेत्र से उद्भूत आपराधिक परिवाद पत्र। 7. आयकर विभाग, जीएसटी. एवं मूल्य वर्धित कर विभाग (VAT) द्वारा प्रस्तुत परिवाद प्रकरण।

07	श्री शिवराज सिंह गवली, सत्रहवें व्य0न्य0वर्ग-1 न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल	<u>आरक्षी केंद्र</u> 1. शाहजहानाबाद 2. रातीबढ़ 3. श्यामला हिल्स 4. निशातपुरा सम्पूर्ण तहसील हुजूर	1. आपराधिक प्रकरण/परिवाद 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के खात्मा प्रकरण । 3. सक्षम/वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये अथवा प्रति प्रेषित किये गये आपराधिक प्रकरण । 4. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र में उद्भूत हुए प्रकरण में पूर्व से जारी रथाई वारंट से संबंधित प्रकरण । 1. आरक्षी केन्द्र बैरागढ़, खजुरी सडक एवं टी.टी. नगर क्षेत्र से उद्भूत आपराधिक परिवाद पत्र ।
08	श्रीमती शालू सिरोही चौकसे तृतीय व्य0न्या0 वर्ग-1 एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल	<u>आरक्षी केन्द्र</u> 1. ऐशबाग सम्पूर्ण तहसील हुजूर	1. आपराधिक प्रकरण/परिवाद पत्र 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के खात्मा प्रकरण 3. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण ।
09	श्री नितेंद्र सिंह तेंमर बाइसवें व्य0न्या0वर्ग-1 न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल	<u>आरक्षी केन्द्र</u> 1. कमलानगर 2. अरेरा हिल्स 3. एस.टी.एफ. सम्पूर्ण तहसील हुजूर	1. आपराधिक प्रकरण/परिवाद पत्र । 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के खात्मा, प्रकरण 3. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण ।
10	श्रीमती सोनम् वर्मा बीसवें व्य0न्या0वर्ग-1 एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल	—	1. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण ।
11	श्री अजय प्रताप सिंह यादव सप्तम व्य0न्या0 वर्ग-2 एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल	<u>आरक्षी केन्द्र</u> 1. बागसेवनिया 2. काइम ब्रांच 3. एनडीपीएस संपूर्ण तहसील हुजूर	1. आपराधिक प्रकरण/परिवाद पत्र 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के खात्मा प्रकरण 3. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण ।
12	सुश्री रेणु यादव ग्यारहवें व्य0न्या0 वर्ग-2 एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल	<u>आरक्षी केन्द्र</u> 1. गौतम नगर 2. मंगलवारा संपूर्ण तहसील हुजूर	1. आपराधिक प्रकरण/परिवाद पत्र 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के खात्मा प्रकरण 3. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण ।

13	कु. विजयश्री सूर्यवंशी, तृतीय व्य0न्या0वर्ग-2 एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल	<u>आरक्षी केन्द्र</u> 1. कटारा हेल्स 2. परवलिटा सडक सम्पूर्ण तहसील हुजूर	1. आपराधिक प्रकरण/परिवाद पत्र 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के खात्मा प्रकरण 3. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण ।
14	सुश्री निधि शाक्यवार, चतुर्थ व्य0न्या0वर्ग-2 एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल	<u>आरक्षी केन्द्र</u> 1. कोलार रोड सम्पूर्ण तहसील हुजूर	1. आपराधिक प्रकरण/परिवाद पत्र 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के खात्मा प्रकरण 3. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण ।
15	श्री लालता सिंह अष्टम व्य0न्या0 वर्ग-2 एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल	<u>आरक्षी केन्द्र</u> 1. बिलखिरिया संपूर्ण तहसील हुजूर	1. आपराधिक प्रकरण/परिवाद पत्र 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के खात्मा प्रकरण 3. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण ।
16	श्रीमती ज्योति राठौर, प्रथम व्य0न्या0वर्ग-2 न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल	<u>आरक्षी केन्द्र</u> 1. चूनाभट्टो संपूर्ण तहसील हुजूर	1. आपराधिक प्रकरण/परिवाद पत्र 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के खात्मा प्रकरण 3. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण ।
17	सुश्री सौम्या विजयवर्गीय, नवम् व्य.न्या. वर्ग-2 एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल	<u>आरक्षी केन्द्र</u> 1. अयोध्या नगर संपूर्ण तहसील हुजूर	1. आपराधिक प्रकरण/परिवाद पत्र 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के खात्मा प्रकरण 3. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण ।
18	श्री कृष्णपाल सिंह सिसोदिया, द्वितीय व्य0न्या0वर्ग-2 एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल	<u>आरक्षी केन्द्र</u> 1. शाहपुरा 2. अवधपुरी संपूर्ण तहसील हुजूर	1. आपराधिक प्रकरण/परिवाद पत्र 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के खात्मा प्रकरण 3. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण ।
19	श्री हर्षवर्धन रावत पंचम व्य0न्या0 वर्ग-2 एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल	<u>आरक्षी केन्द्र</u> 1. स्टेशन बजरिया संपूर्ण तहसील हुजूर	1. आपराधिक प्रकरण/परिवाद पत्र 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के खात्मा प्रकरण 3. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण ।
20	श्री अमित सिंह धुर्वे षष्ठम व्य0न्या0 वर्ग-2 एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल	<u>आरक्षी केन्द्र</u> 1. सूखी सेवनिया संपूर्ण तहसील हुजूर	1. आपराधिक प्रकरण/परिवाद पत्र 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के खात्मा प्रकरण 3. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण ।

21	श्री राजकुमार तोरनिया दशवें व्य0न्या0 वर्ग-2 एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल	<u>आरक्षी केन्द्र</u> 1. तलैया सम्पूर्ण तहसील हुजूर	1. आपराधिक प्रकरण/परिवाद पत्र । 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के खात्मा, प्रकरण 3. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण ।
22	श्री सुरेश बारगीया बारहवें व्य0न्या0 वर्ग-2 एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल	<u>आरक्षी केन्द्र</u> 1. छोलामंदिर 2. अजाक (यदि कोई प्रकरण हो) सम्पूर्ण तहसील हुजूर	1. आपराधिक प्रकरण/परिवाद पत्र । 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के खात्मा, प्रकरण 3. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण ।
23	श्री प्रशांत मर्सकोल तेरहवें व्य0न्या0 वर्ग-2 एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल	<u>आरक्षी केन्द्र</u> 1. ईटखेडी के भोपाल जिले में लगने वाले गांव इस्लामनगर, कल्याणपुरा पटार, परेवाखेडा, विसनखेडी, चांदपुर, डोबरा, लांबाखेडा, खेजड़ादेव, गुराडिया 2. साईबर क्राइम्स (यदि कोई प्रकरण हो) सम्पूर्ण तहसील हुजूर	1. आपराधिक प्रकरण/परिवाद पत्र । 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के खात्मा, प्रकरण 3. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण ।
24	श्री सुरेश शर्मा, तेईसवें व्य0न्या0वर्ग-1 एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल	<u>आरक्षी केन्द्र</u> 1. एमपी नगर 2. कोतवाली 3. गांधीनगर 4. कोहेफिजा 5. स्टेशन बजरिया, 6. कमला नगर 7. हनुमानगंज 8. पिपलानी	1. धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण । 2. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किए गए आपराधिक प्रकरण ।
25	श्री अमित निगम तेरहवें व्य0न्या0 वर्ग-1 एवं, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल	<u>आरक्षी केन्द्र</u> 1. चूनाभट्टी 2. खजूरीसड़क 3. शाहजहांनाबाद 4. टंलाजमालपुरा, 5. तलैया 6. बैरागढ़ 7. पचवलिया सड़क 8. ऐशबाग	1. धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण । 2. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किए गए आपराधिक प्रकरण ।

26	श्री अनुराग सिंह कुशवाह, षष्ठम व्य0 न्या0 वर्ग-1 एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल	<u>आरक्षी केंद्र</u> 1. हबीबगंज 2. बागसेवनिया, 3. कटारा हिल्स 4. कोलार रोड, 5. गौतम नगर 6. गोविंदपुरा 7. ईंटखेडी के भोपाल जिले में लगने वाले गांव इस्लामनगर, कल्याणपुरा पठार, परेवाखेडा, विसनखेडी, चांदपुर, डोबरा, लांबाखेडा, खेजड़ादेव, गुराडिया 8. अरेरा हिल्स	1. धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण। 2. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किए गए आपराधिक प्रकरण।
27	डॉ. आरिफ खान पटेल, सोलहवें व्य0 न्या0 वर्ग-1 न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल	<u>आरक्षी केन्द्र</u> 1. मिसरोद, 2. मंगलवारा . 3. सूखी सेवनिया, 4. अयोध्यानगर 5. अवधपुरी, 6. अशोकागार्डन, 7. टी.टी. नगर	1. धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण। 2. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किए गए आपराधिक प्रकरण।
28	श्रीमती प्रेमलता बोराना, अष्टम व्य0 न्या0 वर्ग-1 न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल	<u>आरक्षी केन्द्र</u> 1. जहांगीराबाद, 2. निशातपुरा 3. शाहपुरा, 4. रातीबढ़, 5. छोला मंदिर 6. बिलखिरिया, 7. श्यामला हिल्स	1. धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण। 2. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किए गए आपराधिक प्रकरण।
29	श्री आशीष परसाई, नवम व्य0 न्या0 वर्ग-1 एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल	<u>आरक्षी केंद्र</u> 1. अयोध्या नगर, 2. मिसरोद 3. टी.टी.नगर, 4. निशातपुरा 5. गांधीनगर 6. शाहपुरा, 7. कोलार रोड 8. गौतम नगर 9. शाहजहानाबाद,	1. आरक्षी केंद्रों से उत्पन्न होने वाले घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद एवं आवेदन। 2. धारा 312, 313, 314, 315, 354, 354 ए, बी, सी, डी तथा 354 ए म.प्र. संघोधन अधिनियम, 366, 366 ए, 366बी, 376, 376 ए से 376 डी, 493, 498, 498ए, 509 भा.द.वि. एवं अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, सति प्रथा निवारण

		10. बागसेवनिया 11. गोविंदपुरा 12. कोहेफिजा 13. मंगलवारा 14. परवलिया सड़क 15. अरेरा हिल्स 16. स्टेशन बजरिया, 17. रातीबढ़ 18. कोतवाली, 19. ऐशबाग, 20. सूखीसेवनिया, 21. काइम ब्रांच, 22. अवधपुरी 23. ईटखेडी के भोपाल जिले में लगने वाले गांव इस्लामनगर, कल्याणपुरा पटार, परेवाखेडा, विसनखेडी, चांदपुर, डोबरा, लांबाखेडा, खेजड़ादेव, गुराडिया	अधिनियम 1957 से संबंधित अभियोगपत्र एवं परिवाद एवं अन्य समस्त परिवाद जो केवल महिलओं के विरुद्ध किए जा सकते हैं। 3. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 से 128, मुस्लिम महिला तलाक से संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। 4. संबंधित आरक्षी केंद्र से उत्पन्न होने वाले ऐसे खात्मा प्रकरण जिसमें पीड़ित महिला हो। 5. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किए गए आपराधिक प्रकरण।
30	श्रीमती ज्योति डोंगरे शर्मा, चौबीसवें व्य0न्या0वर्ग-1 एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल	<u>आरक्षी केंद्र</u> 1. महिला थाना <u>आरक्षी केंद्र</u> 1. महिला थाना, 2. एम.पी. नगर 3. हबीबगंज 4. कमलानगर 5. हनुमानगंज, 6. चूनाभट्टी 7. तलैया 8. पिपलानी 9. जहांगीराबाद 10. जी.आर.पी. 11. आर.पी.एफ. 12. छोला मंदिर 13. अशोका गार्डन 14. खजुरी सड़क 15. बैरागढ़ 16. बिलखिरिया	1. आपराधिक प्रकरण/परिवाद पत्र 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के खात्मा प्रकरण। 1. आरक्षी केंद्रों से उत्पन्न होने वाले घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद एवं आवेदन। 2. धारा 312, 313, 314, 315, 354, 354 ए, बी, सी, डी तथा 354 ए म.प्र. संशोधन अधिनियम, 366, 366 ए, 366बी, 376, 376 ए से 376 डी, 493, 498, 498ए, 509 भा.द.वि. एवं अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, महिलाओं का अशिश्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, सति प्रथा निवारण अधिनियम 1957 से संबंधित अभियोगपत्र एवं परिवाद एवं अन्य समस्त परिवाद जो केवल महिलओं के विरुद्ध किए जा सकते हैं। 3. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 से 128, मुस्लिम महिला तलाक से संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर प्रस्तुत होने वाले प्रकरण।

		17. श्यामला हिल्स 18. टीला जमालपुरा 19. सीआईडी 20. कटारा हिल्स 21. अजाक (यदि कोई प्रकरण हो) 22. साईबर काइम (यदि कोई प्रकरण हो)	4. संबंधित आरक्षी केंद्र से उत्पन्न होने वाले ऐसे खात्मा प्रकरण जिसमें पीडित महिला हो। 5. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किए गए आपराधिक प्रकरण।
31	श्रीमती श्वेता तिवारी, व्य0न्या0 वर्ग-1 एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैरसिया	<u>आरक्षी केन्द्र</u> 1. बैरसिया	1. समस्त आपराधिक प्रकरण/ परिवाद पत्र। 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के खात्मा प्रकरण 3. निम्नलिखित अधिनियम एवं श्रम विभाग से संबंधित आपराधिक प्रकरण : 1. खाद्य अपमिश्रण अधिनियम 1954 2. म.प्र.आबकारी अधिनियम 1915 3. म.प्र.दुकान एवं संस्थापना अधिनियम 4. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण।
		<u>आरक्षी केंद्र</u> 1. बैरसिया 2. गुनगा 3. नजीराबाद 4. ईटखेडी बैरसिया तह.	5. आरक्षी केंद्रों से उत्पन्न होने वाले घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद एवं आवेदन। 6. धारा 312, 313, 314, 315, 354, 354 ए, बी, सी, डी तथा 354 ए म.प्र. संघोधन अधिनियम, 366, 366 ए, 366बी, 376, 376 ए से 376 डी, 493, 498, 498ए, 509 भा.द.वि. एवं अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, महिलाओं का अशिश्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, सति प्रथा निवारण अधिनियम 1957 से संबंधित अभियोगपत्र एवं परिवाद एवं अन्य समस्त परिवाद जो केवल महिलाओं के विरुद्ध किए जा सकते हैं। 7. एनडीपीएस एक्ट से संबंधित अल्प मात्रा के न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी के विचारण योग्य आपराधिक प्रकरण। 8. समस्त तहसील बैरसिया जिला भोपाल के आरक्षी केंद्र से उद्भूत होने वाले धारा 34 (2) आबकारी अधिनियम 1915 के मामले 9. संपूर्ण तहसील बैरसिया के इन्वायरनेटल लॉ (पर्यावरण संरक्षण अधिनियम) एवं फारेस्ट लॉ (भारतीय वन अधिनियम) से उद्भूत प्रकरण

32	श्री देवेंद्र अतुलकर, जेएमएफसी एवं व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 बैरसिया के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश	<u>आरक्षी केन्द्र</u> 1. गुनगा 2. थाना गुनगा तहसील हुजूर जिला भोपाल के गांव ईटखेडी, बीनापुर, निपानिया जाट. रायपुर, अरवलिया, खजूरी, खामखेडा, अचारपुरा, परवलिया सानी, रासलाखेडी, गोलखेडी, राताताल, करधई, करोद खुर्द, कनेरा, कढैया, अगरिया, घासी पुरा, बरखेडी हज्जाम, भैरोपुरा, मनीखेडी कोट. मोमनपुर, सुमेरखेडी, सूखा निपानिया, हज्जामपुरा, हिनौतेया जागीर, चीलखेडा, मस्तीपुरा, खींचीताल से उद्भूत। 3. ईटखेडी बैरसिया तह. 4. आबकारी (धारा 34 (2) आबकारी अधिनियम को छोड़कर)	1. समस्त आपराधिक प्रकरण/ परिवाद पत्र। 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के खात्मा प्रकरण 3. निम्नलिखित अधिनियम एवं श्रम विभाग से संबंधित आपराधिक प्रकरण : 1. खाद्य अपमिश्रण अधिनियम 1954 2. म.प्र.आबकारी अधिनियम 1915 3. म.प्र.दुकान एवं संस्थापना अधिनियम 4. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण। 5. बैरसिया जिला भोपाल के अंतर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्रों में उद्भूत होने वाले आबकारी मामलों एवं आबकारी विभाग के समस्त मामलों से संबंधित प्रकरण।
33	सुश्री दीप्ती ठाकुर जेएमएफसी एवं व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 बैरसिया के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश	<u>आरक्षी केन्द्र</u> 1. नजीराबाद <u>आरक्षी केंद्र</u> 1. बैरसिया 2. गुनगा 3. नजीराबाद 4. ईटखेडी बैरसिया तह.	1. समस्त आपराधिक प्रकरण/ परिवाद पत्र। 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के खात्मा प्रकरण 3. निम्नलिखित अधिनियम एवं श्रम विभाग से संबंधित आपराधिक प्रकरण : 1. खाद्य अपमिश्रण अधिनियम 1954 2. म.प्र.दुकान एवं संस्थापना अधिनियम 4. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण। 5. धारा 138 निगोशियेबल इन्स्ट्रूमेण्ट एक्ट अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। 8. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 से 128, मुस्लिम महिला तलाक से संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर प्रस्तुत होने वाले प्रकरण।

// सामान्य नोट //

01. कार्यविभाजन में की गई व्यवस्था के बावजूद जिला भोपाल के क्षेत्राधिकार में आने वाले किसी भी थाना या वृत्त का कोई प्रकरण सुनवाई हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा ग्रहण किया जा सकता है कार्यविभाजन पत्रक में की गई व्यवस्था के अतिरिक्त अन्य कोई भी चालान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना किसी अन्य न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जावेगा।

02. माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी मजिस्ट्रेट मुख्यालय से बाहर प्रस्थान नहीं करेंगे, प्रस्थान करने के पूर्व इसकी सूचना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं प्रभारी मजिस्ट्रेट को भी देंगे।

03. समस्त रिक्त न्यायालय के महिलाओं के विरुद्ध अपराध से संबंधित आपराधिक प्रकरणों में रिक्त न्यायालयों द्वारा जारी स्थाई गिरफ्तारी वारंट, अपीलीय न्यायालय के अंतिम आदेश/निर्देश, निर्णय का निष्पादन व रिक्त न्यायालय की समस्त कार्यवाही भोपाल जिले के साथ-साथ अन्य जिलों से प्राप्त होने वाले स्थाई गिरफ्तारी वारंट एवं अन्य समस्त कार्यवाही के लिए समस्त मजिस्ट्रेट, दिए गए अपने-अपने आरक्षी केंद्र अनुसार कार्य संपादित करेंगे।

04. समस्त रिक्त न्यायालय के धारा 138 क्रमव्यतिरिक्त लिखित अधिनियम से संबंधित आपराधिक प्रकरणों में रिक्त न्यायालयों द्वारा जारी स्थाई गिरफ्तारी वारंट, अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अंतिम आदेश/निर्णय का निष्पादन, भोपाल जिले के साथ-साथ अन्य जिलों से प्राप्त होने वाले स्थाई गिरफ्तारी वारंट एवं अन्य समस्त कार्यवाही के लिए समस्त मजिस्ट्रेट, दिए गए अपने-अपने आरक्षी केंद्र अनुसार कार्य संपादित करेंगे।

इसके अतिरिक्त परिवाद पत्र से उद्भूत दांडिक मामलों से संबंधित रिक्त न्यायालयों द्वारा जारी किये गये स्थाई गिरफ्तारी वारंट, अपील न्यायालय के अंतिम आदेश/निर्देश, निर्णय का निष्पादन तथा परिवाद पत्र से उत्पन्न आपराधिक प्रकरणों के संबंध में रिक्त न्यायालय की अन्य समस्त कार्यवाही के लिये समस्त मजिस्ट्रेट, दिये गये अपने-अपने आरक्षी केंद्रों का कार्य संपादित करेंगे।

05. उक्त कंडिका 03 व 04 में की गई व्यवस्था के अतिरिक्त, रिक्त न्यायालयों द्वारा जारी किये गये स्थाई गिरफ्तारी वारंट, रिक्त न्यायालय के निर्णय/आदेश के विरुद्ध अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्देश, आदेश एवं निर्णय का निष्पादन तथा रिक्त न्यायालय की अन्य समस्त कार्यवाही के लिये समस्त मजिस्ट्रेट, दिये गये अपने-अपने आरक्षी केंद्रों अनुसार कार्य संपादित करेंगे तथा जिस न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी किये गये हैं और वे वर्तमान में जिला न्यायालय स्थापना में पदस्थ भी हैं, तब जारी किये गये स्थाई गिरफ्तारी वारंट की अन्य समस्त कार्यवाही पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा ही संपादित की जायेगी। यदि स्थाई वारंट से संबंधित कोई प्रकरण किसी अन्य न्यायालय में लंबित होगा, तो लंबित प्रकरण के साथ वांछित सलग्न कर विचारण करने हेतु सीधे संबंधित न्यायालय को वारंट आदेश पत्रिका भेज सकेंगे। पश्चात जहां मामला लंबित होगा, वहीं मजिस्ट्रेट आगे कार्यवाही करेंगे।

इसके अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भोपाल के न्यायालय में लगने वाले आरक्षी केंद्र में से आरक्षी केंद्र टी.टी. नगर, खजूरी रुडक एवं एमपी नगर के अपराध से संबंधित रिक्त न्यायालय के निर्णय/आदेश के विरुद्ध अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्देश, निर्णय/आदेश का निष्पादन तथा अन्य समस्त कार्यवाही श्री अजय प्रताप सिंह यादव, जेएमएफसी भोपाल एवं आरक्षी केंद्र हबीबगंज एवं बैरागढ के अपराध से संबंधित रिक्त न्यायालय के निर्णय/आदेश के विरुद्ध अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्देश, निर्णय/आदेश का निष्पादन तथा अन्य समस्त कार्यवाही श्री लालता सिंह, जेएमएफसी, भोपाल द्वारा संपादित की जावेगी।

06. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भोपाल के न्यायालय में लगने वाले आरक्षी केन्द्र टी.टी. नगर, एमपी नगर, हबीबगंज, बैरागढ़, यातायात, खजूरी सडक से प्राप्त होने वाले स्थाई गिरफ्तारी वारंट से संबंधित प्रकरण की समस्त कार्यवाही श्री कृष्णपाल सिंह सिसोदिया जेएमएफसी भोपाल द्वारा संपादित की जायेगी।
07. आरक्षी केन्द्र एम पी नगर, हबीबगंज क्षेत्र से उदभूत आपराधिक परिवाद पत्र श्री रोहित श्रीवास्तव जेएमएफसी भोपाल एवं आरक्षी केन्द्र टीटी नगर, खजूरी सडक एवं बैरागढ़ क्षेत्र से उदभूत आपराधिक परिवाद पत्र श्री शिवराज सिंह गवली जेएमएफसी, भोपाल के न्यायालयों में प्रस्तुत किये जावेगे और वे विधि अनुसार कार्यवाही संपादित करेंगे।
08. विशिष्ट क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना देकर अपने दूर पर प्रस्थान करेंगे तथा यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उनके न्यायालय में लंबित आपराधिक प्रकरण उन्हीं तिथियों पर नियत किये जावें, जिनमें मजिस्ट्रेट मुख्यालय पर उपस्थित रहें तथा प्रत्येक सप्ताह में कम से कम दो दिवस मुख्यालय में उपस्थित रहकर न्यायालयीन कार्य का निष्पादन करेंगे।
09. मुख्य न्यायिक मजि0 को पूर्व सूचना देकर न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले थाना क्षेत्र में चलित न्यायालय लगा सकेंगे, किन्तु कार्य दिवस में ऐसा करने के लिये माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी।
10. किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर जाने की दशा में संक्षिप्त विचारण के तहत अभियुक्त द्वारा अपराध च्चीकार किये जाने वाले मामले/प्रकरण अनुसूची क्रं 01 के अनुसार प्रभारी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में पेश होंगे और उसी न्यायालय में पंजीबद्ध किये जावेगें। पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने तथा स्थानांतरण हे जाने की दशा में जब तक उनके स्थान पर नये अधिकारी पदभार ग्रहण नहीं करते, तब तक अनुसूची क्रं 01 में वर्णित प्रभारी मजिस्ट्रेट स्थानांतरित अधिकारी के क्षेत्राधिकार में आने वाले सम्पूर्ण मामले सीधे अपने न्यायालय में ग्रहण कर, पंजीबद्ध करेंगे और विधि अनुसार कार्यवाही करेंगे।
11. कार्यविभाजन पत्रक में यदि भोपाल थाना क्षेत्र तथा बैरसिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले किसी आरक्षी केन्द्र का नाम छूट जाता है या किसी आरक्षी केन्द्र का नवीन रूप से गठन होता है तो उक्त आरक्षी केन्द्र के समस्त आपराधिक कार्य व उनके संबंधित सभी आवश्यक कार्य क्रमशः श्री हर्षवर्धन रावत, जेएमएफसी भोपाल तथा श्री देवेन्द्र अतुलकर, जेएमएफसी, बैरसिया जिला भोपाल द्वारा किये जायेगे।
12. धारा 164 दं.प्र.सं. के तहत कथन लेखबद्ध करने वाले प्रभारी मजिस्ट्रेट के पास यदि उन्हीं के क्षेत्राधिकार के आरक्षी केन्द्र का मामला कथन हेतु प्रस्तुत होता है तो क्रमशः प्रथम, द्वितीय प्रभारी व फिर पश्चातवर्ती मजिस्ट्रेट के द्वारा कार्यवाही संपन्न की जावेगी तथा किन्हीं कारणवश किसी आरक्षी केन्द्र का नाम छूट जाता है या किसी आरक्षी केन्द्र का नवीन रूप से गठन होता है तो उक्त आरक्षी केन्द्र के धारा 164 दं.प्र.सं. के कथन (महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से संबंधित) सुश्री रेणु यादव जेएमएफसी भोपाल द्वारा एवं धारा 164 दं.प्र.सं. के कथन (महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को छोड़कर) श्री नितेंद्र सिंह तोमर जेएमएफसी भोपाल द्वारा लिया जाएगा।
13. म.प्र.ग्राम न्यायालय अधिनियम 1996 की धारा 16(1) व (2) के प्रावधानानुसार ग्राम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के प्रकरण, संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार के आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न आपराधिक प्रकरणों में सम्मिलित नहीं माने जावेगे। ग्राम न्यायालय से संबंधित आपराधिक प्रकरण न्यायिक अधिकारी ग्राम न्यायालय भोपाल के द्वारा ही लिया जायेगा।

14. माननीय उच्च न्यायालय म प्र जबलपुर का ज्ञापन क्रं बी/806/।।। ६-5/14, जबलपुर, दिनांक 25.02.15 एवं माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय भोपाल का ज्ञापन क्रं 801/सां0ले0/2015, भोपाल दिनांक 26 फरवरी 2015 के परिपालन में इस न्यायालय के पूर्ववर्ती आपराधिक कार्यविभाजन पत्रक्र 2015 संशोधन क्रं 05 आदेश दिनांक 26.02.15 द्वारा **श्रीमती ज्योति डोंगरे शर्मा**, जेएमएफसी भोपाल ;थाना एसटीएफ भोपाल द्वारा प्रस्तुत संलग्न सूची अनुसार क्रं 01 से 15 तक एवं **श्री शिवराज सिंह गवली**, जेएमएफसी भोपाल संलग्न ;थाना एसटीएफ भोपाल द्वारा प्रस्तुत संलग्न सूची अनुसार क्रं 16 से 29 तक के अपराध क्रमांक में धारा 164 दंप्रसं के तहत कथन अभिलिखित करेंगे। इसके अतिरिक्त यदि थाना एसटीएफ भोपाल द्वारा अन्य अपराध क्रमांक में धारा 164 दंप्रसं के कथन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाते हैं तो **श्रीमती शालू सिरौही चौकसे**, जेएमएफसी, भोपाल पूर्व आदेशानुसार कार्य संपादित करेंगे।

15. न्यायिक अभिरक्षा एवं पुलिस अभिरक्षा में किसी बंदी की मृत्यु होने की दशा में तथा केन्द्रीय कारागार भोपाल में निरुद्ध ऐसे बंदी जो कि भोपाल जिले से बाहर थान क्षेत्र के आपराधिक प्रकरणों में निरुद्ध है तथा जो भोपाल जिले के आरक्षी केन्द्रों के आपराधिक प्रकरणों में निरुद्ध है, की मृत्यु होने पर धारा 76 दंप्रसं की न्यायिक जांच, निम्नांकित न्यायिक दंडाधिकारीगण संपादित करेंगे:-

01. श्री हीरालाल अलावा, जेएमएफसी माह जनवरी 2021
02. श्री नितेंद्र सिंह तोमर जेएमएफसी, माह फरवरी 2021
03. श्री, लालता सिंह जेएमएफसी माह मार्च 2021
04. श्री अजय प्रताप सिंह यादव, जेएमएफसी, माह अप्रैल 2021
05. श्री रोहित श्रीवास्तव जेएमएफसी माह मई 2021
06. श्री कृष्णपाल सिंह सिसोदिया, जेएमएफसी माह जून 2021
07. श्री हर्षवर्धन रावत, जेएमएफसी माह जुलाई 2021
08. श्री सुरेश कुनार शर्मा, जेएमएफसी माह अगस्त 2021
09. श्री अमित निगम, जेएमएफसी माह सितम्बर 2021
10. श्री अनुराग सिंह कुशवाह, जेएमएफसी माह अक्टूबर 2021
11. डॉ. श्री आरिफ खान पटेल जेएमएफसी माह नवम्बर 2021
12. श्री विशाल खंड, जेएमएफसी माह दिसम्बर 2021 से आगामी आदेश होने तक।

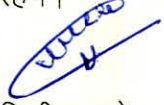
न्यायिक अधिकारी जिस माह में न्यायिक जांच हेतु अधिवृत्त है उक्त माह में सार्वजनिक अवकाशों में बिना माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, एवं मुख्य न्यायिक मजि0 भोपाल के पूर्व अनुमति के मुख्यालय से बाहर नहीं रहेंगे, परन्तु किन्हीं कारणवश मुख्यालय से बाहर रहते हैं या अवकाश पर जाते हैं तो मुख्यालय छोड़ने हेतु प्रस्तुत आवेदन में इसका स्पष्ट उल्लेख करते हुए मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नांगेंगे, इससे पश्चात प्रभार अनुसूची क्रमांक 1 के अनुसार रहेगा।

16. धारा 176 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत मृत बंदियों की न्यायिक जांच से संबंधित अनुरोध पत्र केन्द्रीय कारागार, भोपाल से व संबंधित आरक्षी केन्द्र से प्राप्त होने पर संबंधित न्यायिक दंडाधिकारीगण अपने अधिकारिता वाले आरक्षी केन्द्र के संबंध में विधिवत कार्यवाही अविलंब संपादित करेंगे। इस संबंध में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भोपाल से पृथक से कोई आदेश प्रसारित नहीं किया जायेगा।

17. रिमांड ड्यूटी, वीडियो कांफ्रेंसिंग, धारा 164 दं0प्र0सं0 कथन एवं धारा 176 दं0प्र0सं0 के तहत अधिकृत न्यायिक मजिस्ट्रेट यदि किसी कारणवश अवकाश पर रहने या अधिकृत न्यायिक मजिस्ट्रेट का स्थानांतरण होने की स्थिति में उनके स्थान पर आए नवीन न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अथवा न्यायालय रेक्ट रहने की दशा में प्रभार अनुसूची क्र.-1 के अनुसार रहेगा एवं वह विधि अनुसार कार्यवाही तथाशीघ्र संपादित करेंगे

18. श्रीमती श्वेता तिवारी, श्री देवेंद्र अतुलकर एवं श्रीमती दीप्ती ठाकुर जेएमएफसी बैरसिया जिला भोपाल अपने-अपने आरक्षी केन्द्र के धारा 176 दंप्रसं के अन्तर्गत न्यायिक अभिरक्षा में मृत बंदियों की न्यायिक जांच संपादित करेंगे।

19. अनुसूची 1 एवं अनुसूची 2 कार्यविभाजन पत्रक के ही अंग रहेंगे।


निशीथ खरे
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
भोपाल

// अनुसूची कं 1 //

1. न्यायिक दंडाधिकारीगण के अवकाश में रहने पर या न्यायालय रिक्त होने पर अनुसूची 1 में दर्शित न्यायिक मजिस्ट्रेट, सूची के अनुसार अत्यावश्यक न्यायालयीन कार्यों को निष्पादित करेंगे।

2. यदि अनुसूची कं. 1 में वर्णित प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ प्रभारी अवकाश पर रहते हैं, तो मुख्य न्यायिक मजि. को छोड़कर मुख्यालय उपलब्ध वरिष्ठतम मजिस्ट्रेट प्रभार में रहेंगे। अत्यावश्यक मामलों में ऐसे समस्त मामले शामिल हैं, जिनमें संक्षिप्त प्रक्रिया के द्वारा आरोपी अपराध की स्वीकारोक्ति चाहता है। अत्यावश्यक मामलों में वे मामले शामिल नहीं होंगे, जो पहले से किसी न्यायालय में लंबित हों।

क.	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	प्रथम प्रभारी	द्वितीय प्रभारी	तृतीय प्रभारी	चतुर्थ प्रभारी
1	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भोपाल	श्री विशाल अखंड, अति.मु.न्या. मजि.	श्री हीरालाल अलावा जेएमएफसी	श्री रोहित श्रीवास्तव जेएमएफसी	श्री शिवराज सिंह गवली जेएमएफसी
2	श्री विशाल अखंड अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	श्री हीरालाल अलावा जेएमएफसी	श्री अजय प्रताप सिंह यादव जेएमएफसी	श्रीमती शालू सिरौही चौकसे जेएमएफसी	श्री शिवराज सिंह गवली जेएमएफसी
3	श्री कपिल सोनी, विशेष रेल्वे मजिस्ट्रेट,	श्रीमती ज्योति डोंगरे शर्मा जेएमएफसी	श्री हीरालाल अलावा जेएमएफसी	श्री रोहित श्रीवास्तव जेएमएफसी	श्रीमती शालू सिरौही चौकसे जेएमएफसी
4	श्री हीरालाल अलावा, जेएमएफसी	श्री नितेंद्र सिंह तोमर जेएमएफसी	श्री विशाल अखंड, अति.मु.न्या. मजि.	श्री शिवराज सिंह गवली जेएमएफसी	श्री कपिल सोनी, विशेष रेल्वे मजिस्ट्रेट
5	सुश्री रनेहा सिंह, जेएमएफसी	श्रीमती शालू सिरौही चौकसे जेएमएफसी	श्री नितेंद्र सिंह तोमर जेएमएफसी	श्रीमती सोनम वर्मा, जेएमएफसी	श्री अजय प्रताप सिंह यादव, जेएमएफसी
6	श्री रोहित श्रीवास्तव, जेएमएफसी	श्री नितेंद्र सिंह तोमर जेएमएफसी	श्री शिवराज सिंह गवली, जेएमएफसी	श्री विशाल अखंड, अति.मु.न्या. मजि.	श्री कपिल सोनी, विशेष रेल्वे मजिस्ट्रेट
7	श्री शिवराज सिंह गवली, जेएमएफसी	श्री अजय प्रताप सिंह यादव, जेएमएफसी	श्री नितेंद्र सिंह तोमर जेएमएफसी,	श्रीमती सोनम वर्मा, जेएमएफसी	श्री रोहित श्रीवास्तव जेएमएफसी

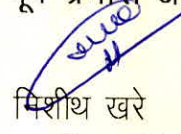
8	श्रीमती शालू सिरौही चौकसे, जेएमएफसी	श्रीमती सोनम वर्मा, जेएमएफसी	श्रीमती निधि शाक्यवार जेएमएफसी	श्री नितेंद्र सिंह तोमर जेएमएफसी,	सुश्री विजयश्री सूर्यवंशी जेएमएफसी
9	श्री नितेंद्र सिंह तोमर, जेएमएफसी	श्रीमती शालू सिरौही चौकसे जेएमएफसी	सुश्री सौम्या विजयवर्गीय जेएमएफसी	श्रीमती शालू सिरौही चौकसे, जेएमएफसी	श्रीमती सोनम वर्मा, जेएमएफसी
10	श्रीमती सोनम वर्मा, जेएमएफसी	सुश्री रेणु यादव जेएमएफसी	सुश्री विजयश्री सूर्यवंशी जेएमएफसी	श्रीमती शालू सिरौही चौकसे, जेएमएफसी	श्रीमती निधि शाक्यवार जेएमएफसी
11	श्री अजय प्रताप सिंह यादव, जेएमएफसी	श्री शिवराज सिंह गवली, जेएमएफसी	श्रीमती सोनम वर्मा, जेएमएफसी	सुश्री विजयश्री सूर्यवंशी जेएमएफसी	श्री नितेंद्र सिंह तोमर, जेएमएफसी
12	सुश्री रेणु यादव, जेएमएफसी	सुश्री विजयश्री सूर्यवंशी जेएमएफसी	श्री कृष्णपाल सिंह सिसोदिया, जेएमएफसी	श्री लालता सिंह, जेएमएफसी	श्रीमती ज्योति राठौर, जेएमएफसी
13	कु. विजयश्री सूर्यवंशी, जेएमएफसी	श्री लालता सिंह, जेएमएफसी	श्री अजय प्रताप सिंह यादव, जेएमएफसी	सुश्री निधि शाक्यवार जेएमएफसी	श्रीमती ज्योति राठौर जेएमएफसी
14	सुश्री निधि शाक्यवार, जेएमएफसी	श्री रोहित श्रीवास्तव जेएमएफसी	सुश्री रेणु यादव जेएमएफसी	श्री लालता सिंह, जेएमएफसी	श्री हीरालाल अलावा, जेएमएफसी
15	श्री लालता सिंह, जेएमएफसी	श्रीमती ज्योति राठौर, जेएमएफसी	सुश्री सौम्या विजयवर्गीय जेएमएफसी	श्री अजय प्रताप सिंह यादव, जेएमएफसी	सुश्री विजयश्री सूर्यवंशी जेएमएफसी
16	श्रीमती ज्योति राठौर, जेएमएफसी	सुश्री सौम्या विजयवर्गीय जेएमएफसी	श्री लालता सिंह, जेएमएफसी	सुश्री रेणु यादव जेएमएफसी	सुश्री निधि शाक्यवार, जेएमएफसी
17	सुश्री सौम्या विजयवर्गीय जेएमएफसी	श्री कृष्णपाल सिंह सिसोदिया, जेएमएफसी	श्रीमती ज्योति राठौर, जेएमएफसी	श्री हर्षवर्धन रावत, जेएमएफसी	सुश्री रेणु यादव जेएमएफसी
18	श्री कृष्णपाल सिंह सिसोदिया, जेएमएफसी	श्री हर्षवर्धन रावत, जेएमएफसी	श्री प्रशांत मर्सकोल, जेएमएफसी	श्रीमती ज्योति राठौर, जेएमएफसी	श्री लालता सिंह, जेएमएफसी
19	श्री हर्षवर्धन रावत, जेएमएफसी	श्री अमित सिंह धुर्वे, जेएमएफसी	श्री कृष्णपाल सिंह सिसोदिया, जेएमएफसी	सुश्री सौम्या विजयवर्गीय जेएमएफसी	श्री राजकुमार तोरनिया, जेएमएफसी
20	श्री अमित सिंह धुर्वे, जेएमएफसी	श्री राजकुमार तोरनिया, जेएमएफसी	श्री सुरेश बारगीया, जेएमएफसी	श्री प्रशांत मर्सकोल, जेएमएफसी	श्री हर्षवर्धन रावत, जेएमएफसी
21	श्री राजकुमार तोरनिया, जेएमएफसी	श्री सुरेश बारगीया, जेएमएफसी	श्री प्रशांत मर्सकोल, जेएमएफसी	श्री हर्षवर्धन रावत, जेएमएफसी	श्री कृष्णपाल सिंह सिसोदिया, जेएमएफसी

22	श्री सुरेश बारगीया, जेएमएफसी	श्री प्रशांत मर्सकोल, जेएमएफसी	श्री हर्षवर्धन रावत, जेएमएफसी	श्री अमित सिंह धुर्वे, जेएमएफसी	श्री राजकुमार तोरनिया, जेएमएफसी
23	श्री प्रशांत मर्सकोल, जेएमएफसी	श्री हर्षवर्धन रावत, जेएमएफसी	श्री राजकुमार तोरनिया, जेएमएफसी	श्री सुरेश बारगीया, जेएमएफसी	श्री अमित सिंह धुर्वे, जेएमएफसी
24	श्री सुरेश शर्मा, जेएमएफसी	श्री अमित निगम, जेएमएफसी	श्री अनुराग सिंह कुशवाह, जेएमएफसी	डॉ. आरिफ खान पटेल, जेएमएफसी	श्रीमती प्रेमलता बोराना, जेएमएफसी
25	श्री अमित निगम, जेएमएफसी	श्री अनुराग सिंह कुशवाह, जेएमएफसी	डॉ. आरिफ खान पटेल, जेएमएफसी	श्रीमती प्रेमलता बोराना, जेएमएफसी	श्री सुरेश शर्मा, जेएमएफसी
26	श्री अनुराग सिंह कुशवाह, जेएमएफसी	डॉ. आरिफ खान पटेल, जेएमएफसी	श्रीमती प्रेमलता बोराना, जेएमएफसी	श्री सुरेश शर्मा, जेएमएफसी	श्री अमित निगम, जेएमएफसी
27	डॉ. आरिफ खान पटेल, जेएमएफसी	श्रीमती प्रेमलता बोराना, जेएमएफसी	श्री सुरेश शर्मा, जेएमएफसी	श्री अमित निगम, जेएमएफसी	श्री अनुराग सिंह कुशवाह, जेएमएफसी
28	श्रीमती प्रेमलता बोराना, जेएमएफसी	श्री सुरेश शर्मा, जेएमएफसी	श्री अमित निगम, जेएमएफसी	श्री अनुराग सिंह कुशवाह, जेएमएफसी	डॉ. आरिफ खान पटेल, जेएमएफसी
29	श्री आशीष परसाई, जेएमएफसी	श्रीमती ज्योति डोंगरे शर्मा, जेएमएफसी	सुश्री निधि शाक्यवार जेएमएफसी	श्री राजकुमार तोरनिया, जेएमएफसी	श्री प्रशांत मर्सकोल, जेएमएफसी
30	श्रीमती ज्योति डोंगरे शर्मा, जेएमएफसी	श्री आशीष परसाई, जेएमएफसी	श्री राजकुमार तोरनिया, जेएमएफसी	सुश्री रेणु यादव जेएमएफसी	श्री सुरेश बारगीया, जेएमएफसी
31	श्रीमती श्वेता तिवारी, , जेएमएफसी	श्री देवेन्द्र अतुलकर, जेएमएफसी	श्रीमती दीप्ति ठाकुर जेएमएफसी	श्रीमती शालू सिरौही चौकसे जेएमएफसी	श्री अमित सिंह धुर्वे, जेएमएफसी
32	श्री देवेन्द्र अतुलकर, जेएमएफसी	श्रीमती दीप्ति ठाकुर जेएमएफसी	श्रीमती श्वेता तिवारी, जेएमएफसी	श्री सुरेश बारगीया, जेएमएफसी	सुश्री सौम्या विजयवर्गी जेएमएफसी
33	सुश्री दीप्ति ठाकुर जेएमएफसी	श्रीमती श्वेता तिवारी, जेएमएफसी	श्री देवेन्द्र अतुलकर, जेएमएफसी	श्री हर्षवर्धन रावत जेएमएफसी	श्री कृष्णपालसिंह सिसोदिया जेएमएफसी
34	प्र०न्यायाधीश, किशोर बोर्ड, भोपाल	—————	—————	—————	—————

नोट:— 1. प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड के स्थानांतरण हो जाने तथा उनके अवकाश पर रहने पर किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य द्वारा कार्य संपादित किया जावेगा तथा किन्हीं कारणवश उनके भी अनुपस्थित रहने पर मुख्य न्यायिक मजि०भोपाल को छोड़कर वरिष्ठतम न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा कार्य संपादित किया जावेगा।

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

नोट:- भोपाल जिला न्यायालय पदस्थापना में रिक्त न्यायालयों में लंबित आपराधिक प्रकरणों के संबध में समस्त आवश्यक कार्यवाही आगामी आदेश पर्यन्त तक उनके पूर्व प्रभारी अधिकारीगण द्वारा ही की जावेगी।


 पिंशीथ खरे
 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
 भोपाल

// अनुसूची 2 //

धारा 164 द.प्र.सं. के कथन अंकित किये जाने हेतु नीचे दर्शित आरक्षी केन्द्र के अनुसार निम्नानुसार कार्यभार सौंपा जाता है :-

1. महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से संबंधित धारा 164 द.प्र.सं. के कथनों हेतु निम्न महिला मजिस्ट्रेटों को आरक्षी केन्द्र का आबंटन निम्नानुसार किया जाता है:-

क्रं	मजिस्ट्रेट का नाम	आरक्षी केन्द्र
1	श्रीमती ज्योति डोंगरे शर्मा, जेएमएफसी	1 ऐशबाग, 2 निशातपुरा, 3 परवलिया सडक, 4 ईंटखेडी के भोपाल जिले में लगने वाले गांव इस्लामनगर, कल्याणपुरा पठार, परेवाखेडा, विसनखेडी, चांदपुर, डोबरा, लांबाखेडा, खेजडादेव, गुराडिया, 5 एसटीएफ/एटीएस (आदेश दिनांक 26.02.15 के अनुसार)
2	श्रीमती शालू सिरोही चौकसे, जेएमएफसी	1 बैरागढ, 2 छोला मंदिर, 3 महिला थाना, 4 चूनाभट्टी, 5 कमला नगर, 6. एसटीएफ एवं एटीएस 7. मंगलवारा
3	सुश्री रेणु यादव, जेएमएफसी	1. अवधपुरी, 2 कटारा हिल्स, 3 हबीबगंज, 4 श्यामला हिल्स, 5 सूखीसेवनिया 6. कोलार रोड
4	कु. विजयश्री सूर्यवंशी, जेएमएफसी	1 शाहपुरा, 2 अशोका गार्डन, 3 तलैया, 4 सीबीआई, 5 टीलाजमालपुरा
5	सुश्री निधि शाक्यवार जेएमएफसी	1 हनुमानगंज, 2 पिपलानी, 3 जी.आर.पी., 4 अयोध्या नगर, 5 एम पी नगर, 6 अरेरा हिल्स
6	श्रीमती ज्योति राठौर जेएमएफसी	1 काइम ब्रांच, 2 अजाक, 3 सी.आई.डी., 4 बागसेवनिया, 5 स्टेशन बजरिया, 6. गोविंदपुरा
7	सुश्री सौम्या विजयवर्गी, जेएमएफसी	1 जहांगीराबाद, 2 बिलखिरिया 3 रातीबड़, 4 कोतवाली 5 आर.पी.एफ., 6 साइबर काइम्स 7 गांधीनगर
8	श्रीमती प्रेमलता बोराना, जेएमएफसी	1 टी टी नगर, 2, खजूरी सडक 3 शाहजहानाबाद 4 केहेफिजा, 5 गौतम नगर 6 मिसरोद

नोट:- 1. धारा 164 द.प्र.सं. के कथन अंकित किये जाने हेतु उपरोक्त न्यायिक दंडाधिकारीगण के अवकाश में रहने पर निम्नानुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट, सूची के अनुसार धारा 164 द.प्र.सं. के कथन अंकित करेंगे।

2. यदि सूची में वर्णित प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ प्रभारी अवकाश पर रहते हैं, तो धारा 164 द.प्र.सं. के कथन अंकित किए जाने हेतु मुख्यालय पर उपलब्ध वरिष्ठतम महिला मजिस्ट्रेट प्रभार में रहेंगी।

3. धारा 164 द.प्र.सं. के तहत कथन लेखबद्ध करने वाले प्रभारी मजिस्ट्रेट के पास यदि उन्हीं के क्षेत्राधिकार के आरक्षी केन्द्र का मामला कथन हेतु प्रस्तुत होता है तो क्रमशः प्रथम, द्वितीय प्रभारी व फिर पश्चातवर्ती महिला मजिस्ट्रेट के द्वारा कार्यवाही संपन्न की जावेगी ।

क.	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	प्रथम प्रभारी	द्वितीय प्रभारी	तृतीय प्रभारी	चतुर्थ प्रभारी
1	श्रीमती ज्योति डोंगरे शर्मा, जेएमएफसी	श्रीमती शालू सिरौही चौकसे, जेएमएफसी	सुश्री रेणु यादव, जेएमएफसी	कु. विजयश्री सूर्यवंशी, जेएमएफसी	सुश्री निधि शाक्यवार जेएमएफसी
2	श्रीमती शालू सिरौही चौकसे, जेएमएफसी	सुश्री रेणु यादव, जेएमएफसी	कु. विजयश्री सूर्यवंशी, जेएमएफसी	सुश्री निधि शाक्यवार जेएमएफसी	श्रीमती ज्योति राठौर जेएमएफसी
3	सुश्री रेणु यादव, जेएमएफसी	कु. विजयश्री सूर्यवंशी, जेएमएफसी	सुश्री निधि शाक्यवार जेएमएफसी	श्रीमती ज्योति राठौर जेएमएफसी	सुश्री सौम्या विजयवर्गी, जेएमएफसी
4	कु. विजयश्री सूर्यवंशी, जेएमएफसी	सुश्री निधि शाक्यवार जेएमएफसी	श्रीमती ज्योति राठौर जेएमएफसी	सुश्री सौम्या विजयवर्गी, जेएमएफसी	श्रीमती प्रेमलता बोराना, जेएमएफसी
5	सुश्री निधि शाक्यवार जेएमएफसी	श्रीमती ज्योति राठौर जेएमएफसी	सुश्री सौम्या विजयवर्गी, जेएमएफसी	श्रीमती प्रेमलता बोराना, जेएमएफसी	श्रीमती ज्योति डोंगरे शर्मा, जेएमएफसी
6	श्रीमती ज्योति राठौर जेएमएफसी	सुश्री सौम्या विजयवर्गी, जेएमएफसी	श्रीमती प्रेमलता बोराना, जेएमएफसी	श्रीमती ज्योति डोंगरे शर्मा, जेएमएफसी	श्रीमती शालू सिरौही चौकसे, जेएमएफसी
7	सुश्री सौम्या विजयवर्गी, जेएमएफसी	श्रीमती प्रेमलता बोराना, जेएमएफसी	श्रीमती ज्योति डोंगरे शर्मा, जेएमएफसी	श्रीमती शालू सिरौही चौकसे, जेएमएफसी	सुश्री रेणु यादव, जेएमएफसी
8	श्रीमती प्रेमलता बोराना, जेएमएफसी	श्रीमती ज्योति डोंगरे शर्मा, जेएमएफसी	श्रीमती शालू सिरौही चौकसे, जेएमएफसी	सुश्री रेणु यादव, जेएमएफसी	कु. विजयश्री सूर्यवंशी, जेएमएफसी

4. इसके अतिरिक्त धारा 164 द.प्र.सं. के कथन (महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को छोड़कर) के संबंध में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

कं.	मजिस्ट्रेट का नाम	आरक्षी केन्द्र
1	श्री विशाल अखंड, एसीजेएम.	1 अवधपुरी, 2 गांधीनगर
2	श्री हीरालाल अलावा, जेएमएफसी	1 आर.पी.एफ. 2 तलैया 3 सीबीआई
3	श्री रोहित श्रीवास्तव, जेएमएफसी	1 गौतम नगर, 2 कटरा हिल्स, 3 बागसेवनिया
4	श्री शिवराज सिंह गवली, जेएमएफसी	1 जहांगीराबाद, 2 एटीएस/एसटीएफ (आदेश दिनांक 26.02.15 के अनुसार)
5	श्री नितेंद्र सिंह तोमर, जेएमएफसी	1. शाहजहानाबाद, 2 ईटखेडी के भोपाल जिले में लगने वाले गांव इस्लामनगर, कल्याणपुरा पठार, परेवाखेडा, विसनखेडी, चांदपुर, डोबरा, लांबाखेडा, खेजडादेव, गुराडिया

कं.	मजिस्ट्रेट का नाम	आरक्षी केन्द्र
6	श्री अजय प्रताप सिंह यादव, जेएमएफसी	1 कोतवाली 2 हबीबगंज, 2 गोविंदपुरा, 3 अशोक गार्डन
7	श्री लालता सिंह, जेएमएफसी	1 टीलाजमालपुरा, 2 सूखीसेवनिया, 3 शाहपुरा
8	श्री कृष्णपालसिंह सिसोदिया, जेएमएफसी	1 श्यामला हिल्स, 2 बिलखिरिया
9	श्री हर्षवर्धन रावत, जेएमएफसी	1 पिपलानी, 2 मिसरोद 3 अयोध्या नगर
10	श्री अमित सिंह धुर्वे, जेएमएफसी	1 रातीबड़, 2 खजूरी सडक
11	श्री राजकुमार तोरनिया, जेएमएफसी	1 अरेरा हिल्स 2 ऐशबाग 3 वाइम ब्रांच
12	श्री सुरेश बारगीया, जेएमएफसी	1 चूनाभट्टी 2 बैरागढ
13	श्री प्रशांत मर्सकोल, जेएमएफसी	1 कोहेफिजा 2 मंगलवारा
14	श्री सुरेश शर्मा, जेएमएफसी	1 छोला मंदिर, 2 टी टी नगर, 3 निशातपुरा
15	श्री अमित निगम, जेएमएफसी	1 साइबर काइम्स, 2 कोलार रोड 3 जी.आर.पी.
16	श्री अनुराग सिंह कुशवाह, जेएमएफसी	1 स्टेशन बजरिया, 2. कमलानगर, 3 परवलिया सडक
17	डॉ. आरिफ पटेल, जेएमएफसी	1 अजाक, 2 सी.आई.डी., 3 महिला थाना
18	श्री आशीष परसाई, जेएमएफसी	1 एमपी नगर, 2 हनुमानगंज

5 तहसीब बैरसिया जिला भोपाल में धारा 164 दं.प्र.सं. के कथन अंकित किये जाने हेतु नीचे दर्शित आरक्षी केन्द्र के अनुसार निम्नानुसार कार्यभार सौंपा जाता है :-

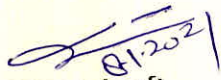
कं.	मजिस्ट्रेट का नाम	आरक्षी केन्द्र
1	श्रीमती श्वेता तिवारी, जेएमएफसी, बैरसिया,	नजीराबाद
2	श्री देवेन्द्र अतुलकर, जेएमएफसी, बैरसिया	बैरसिया
3	श्रीमती दीप्ती ठाकुर जेएमएफसी, बैरसिया,	गुनगा, ईटखेडी तह0 बैरसिया



निशीथ खरे

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भोपाल

अनुमोदित



राजेंद्र कुमार (वर्मा)

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

भोपाल 46000

